2024/50

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालतः अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

खजान सिंह बनाम स्टेट व अन्य

अपील प्रकरण सं0 15/2024

अधिवक्ता अपीलार्थी :– तेजा सिंह संधू अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट :– सुभाष मिढा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
05.04.2024	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाती है । अधिवक्ता उभयपक्ष की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर देकर वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है। ज्ञान सिंह के पिता जस्सा सिंह के सात वारिस थे। ज्ञान सिंह सभी भाईयों के साथ रहता था और अन्तिम समय में कुछ मानसिक परेशानी होने के कारण सुधबुध कम रह गयी थी, उसका फायदा उठाते हुए वादग्रस्त वसीयत 21.05.2010 को अपनी पत्नी के नाम तहरीर करवा ली और उसके बाद सतनाम सिंह ने यही वादग्रस्त भूमि 22.09.2021 को अपने पुत्र के नाम सतहरीर करवा ली। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में तथ्य छुपाकर 2010 की वसीयत जो अपनी पत्नी के नाम थी उसका आवेदन पत्र दिया व दिनांक 22.09.2021 का कोई हवाला नहीं दिया। तहसीलदार द्वारा वसीयत के नोटिस को सीमा सन्देश अखबार में साया करवाया जो कि हमारी ढाणी में कभी आता ही नहीं है जिससे हमें उक्त वसीयत में एतराज पेश करने का पता ही नही चला। 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र मैने इसलिए पेश किया है क्योंकि मै द्वितीय श्रेणी का वारिस हूँ जिस कारण अपील पेश करने हक रखता हूँ। लखविन्द्र सिंह हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कृषि भूमि के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। अतः प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्राथी के पक्ष में है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर मिसल संख्या 03/2024 अनवानी जसवीर कौर बनाम स्टेट ऑफ राज. में पारित आदेश की रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति ताफैंसला कायम रखी जाने का आदेश पारित किया जावें। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने जिस आदेश को चैलेंज किया उसका इन्तकाल दर्ज हो चुका है इसलिए अपील अबैट हो चुकी है। अतः अपील अबैट होने से खारिज फरमाई जावें। वसीयतकर्ता मेरे पति का भाई था जो बेऔलाद होने के कारण हमारे पास रहता था जिसकी देखभाल मैने की थी। वसीयतकर्ता ज्ञान सिंह का एक्सीडेन्ट होने पर उसका ईलाज हमारे द्वारा करवाया गया था बाद में एक्सीडेन्ट होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। वसीयत जो वर्ष 2010 में की गई थी वह मेरी माता के नाम से की गई थी, बाद में मेरे नाम की गई थी। माता के नाम वसीयत होने के कारण मैने मेरी माता की वसीयत के आधार पर ही इन्तकाल दर्ज करने हेतू तहसीलदार श्रीगंगानगर के समक्ष उक्त वसीयत पेश की गई थी जिसमें मेरी सहमति थी। ज्ञान सिंह द्वारा जो वसीयत की गई वह उसकी स्वयं अर्जित सम्पति थी जिसकी वह वसीयत करने का अधिकारी थी। अगर अपीलांट को उक्त विवादित भूमि में से हिस्सा चाहिए तो वह उत्तराधिकार (घोषणा) प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर हिस्सा हेतू दावा पेश कर सकते है। अपील में हिस्सा का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अपीलांट प्रथम/द्वितीय श्रेणी के वारिस नहीं है इसलिए उक्त अपील पेश करने के अधिकारी नहीं है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाई जावें। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा निम्न नजीरें पेश की हैः– 1. आर.आर.टी. 2021(2) पेज–952 से 956	

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

25.2.2025

अपीलार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज पेशी में ली गई। अपीलार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अपीलार्थी ने जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील में पक्षकारों का अब राजीनामा हो गया है। लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा कर लिया है। उक्त अपील में अब कोई कार्यवाही नहीं चाहते। जो इसमें स्टे दिया गया था उसे भी निष्प्रभावी किया जाना आवश्यक व उचित है। पत्रावली को मौजूदा सूरत में दाखिल दफ्तर फरमायी जावे। अतः अपीलार्थी के द्वारा अपील विड्रॉ करने के कारण अपील खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति संबंधित तहसीलदार को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे एंव बाद तरतीब तकमील अभिलेखागार में जमा करवाई जावे। आदेश सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर (प्रशि०
श्रीगंगानगर